


राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक: प.8(4)वि.मा./2020 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 12 फरवरी, 2021

परिपत्र


वित्त विभाग द्वारा राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते (पी.डी.खाते) खोले गए थे। इन पी.डी.खातों के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा लेन-देन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों के मध्यनजर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा समस्त लेन-देन की व्यवस्था निजी निक्षेप खातों के स्थान पर पूर्व की भांति बैंक खातों के माध्यम से यथावत रहेगी।



(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।



निदेशक, वित्त (बजट)